न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 27/2018/अपील

रामस्वरूप आयु 36 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी रानीपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 07.03.2018 न्यायालय तहसीलदार खण्डेला मु.न. 306/2018 प्रकरण अनुवानी सरकार बनाम रामस्वरूप

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

निर्णय दिनांकः–08.06.2018

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कासरडा ने अधिनस्थ तहसीलदार महोदय, खण्डेला के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि भूमि खसरा नम्बर 523 तन ग्राम कासरडा किस्म गै0मु0 चारागाह में 0.20 हैक्टर रकबे से अपीलान्ट को पूर्व में बेदखली व फसल निलामी के पश्चात पुनः काश्त कर अतिक्रमण कर लिया जिस पर अधिनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलान्ट दिनांक 07.03.2018 को अधिनस्थ तहसीलदार महोदय खण्डेला के समक्ष उपस्थित हुआ और अपीलान्ट ने लिखित में अपना जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 523 में कोई अतिक्रमण नही किया है और अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि में फसल काश्त की है सही सीमाज्ञान करवा लिया जावे, तथा अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के बाहर उसका कोई कब्जा नही है अगर ऐसा हो तो उसे हटा दिया जावे उसे कोई आपत्ति नही है। उक्त जवाब प्रस्तुत होने के बाद सर्वथा गलत व अवैध रूप से अधिनस्थ तहसीलदार महोदय ने बिना मौके की नपती व सीमाज्ञान किए बिना ही प्रार्थी अपीलान्ट को धारा 91(2) के तहत तीन माह के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करने व खसरा नम्बर 523 के 0.20 हैक्टर से बेदखल करने व 18 रूपया शास्ति आरोपित करने की व अपीलान्ट के नाम गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने का आदेश जारी कर दिया। पटवारी हल्का कासरडा ने अपीलान्ट के विरूद्ध भूमि खसरा नम्बर 523 के 0.20 हैक्टर वाके ग्राम कासरडा पर पूर्व में बेदखली व फसल निलामी के पश्चाात पुनः अतिक्रमण के बाबत सर्वथा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जबकि अपीलान्ट का भूमि खसरा नम्बर 523 पर न तो कोई अतिक्रमण है और न ही अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 523 में कोई फसल ही काश्त की है। अपीलान्ट ने अधिनस्थ तहसीलदार महोदय खण्डेला के समक्ष उपस्थित होकर लिखित में दिनांक 07.03.2018 को जवाब प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलान्ट ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट को उक्त पटवारी हल्का से जिरह करने का कोई अवसर ही दिया गया है और उक्त बयान कानूनन साक्ष्य में पढे जाने योग्य न होते भी योग्य अधिनस्थ तहसीलदार महोदय ने पटवारी हल्का के बयानो पर विश्वास करकें अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिकमी मानकर उसे दण्डित करने में कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट अपीलान्ट के विरूद्ध गेहू व जो की फसल काश्त करने के बारे में की गई है वह अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि में होते हुये भी पटवारी हल्का बिना चारागाह भूमि खसरा नम्बर 523 का सीमाज्ञान किए ही बिल्कुल गलत की है जबकि अपीलांट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने जवाब में यह उल्लेख किया है कि भूमि खसरा नम्बर 523 के किसी भी भाग पर कोई अतिक्रमण नही है और ऐसी स्थिति में अधिनस्थ तहसीलदार महोदय को अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि की नपती व सीमा ज्ञान करवाना आवश्यक होते हुये भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तोर पर अपना निर्णय दिनांक 07.03.2018 पारित कर दिया गया, जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2018 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट का वाके ग्राम कासरड़ा की भूमि खसरा नम्बर 523 पर कोई अतिक्रमण नहीं है एवं भविष्य में उक्त भूमि के किसी भी भू–भाग पर अतिक्रमण नहीं करूंगा। तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 10.05.2018 के अनुसार मौके पर प्रार्थी रामस्वरूप का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं होना अंकित किया है। तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से सहमत होने पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश अनुवानी सरकार बनाम रामस्वरूप दिनांक 07.03.2018 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार खण्डेला को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि ग्राम कांसरड़ा के खसरा नम्बर 523 का निरीक्षण स्वयं कर सुनिश्चित करलें कि कोई अतिक्रमण शेष न हों।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official